

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :- रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 257 / 2021

वादीगण-

1. ओमाराम पुत्र कानाराम
2. कैलाशराम पुत्र कानाराम, जातियान-जाट निवासीगण-कुसिया, तहसील-जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कानाराम पुत्र रामाराम.
2. गीता पुत्री कानाराम, जातियान-जाट निवासीगण-कुसिया, तहसील-जायल।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल.

उपस्थिति :-


1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित

दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक : 17/12/2021

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बड़ेर की पुस्तैनी भूमि मौजा कुसिया ग्राम पंचायत धारणा तहसील जायल में खेत खसरा नं. 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 2 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा सम्वत् 2074 में वाद के पैरा संख्या 2 के (क से ख) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है जिसका बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 व 2 ओमाराम व कैलाश व प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर पूरा 1/3-1/3 हिस्सा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मुतदाविया खेतियों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 के बीच आपसी पारिवारिक बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सीव-नीव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।



सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने दिनांक 24.11.2021 को जरिये अधिवक्ता एवं स्वयं उपस्थिति के साथ प्रशासन गांवों के संग अभियान ग्राम पंचायत धारणा में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गोविन्दराम ढाका ने की तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की पहचान अधिवक्ता श्री रामप्रकाश बेंदा ने की। राजीनामा शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 स्वयं से राजपैरोकार के रूप में उपस्थित है, जो वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है जिन्होंने राजहित सुरक्षित रखते हुवे वाद के मिसल में अनापति जाहिर की है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 द्वारा प्रकरण के संबंध में राजीनामा पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 3 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र गवाह ओमाराम पुत्र कानाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम कुसिया तहसील-जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 23 प्रदर्श-1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 2 द्वारा पत्रावली में जरिये राजीनामा वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक राजीनामा में वर्णित पैराज एवं माफिक इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 2 के हक बंट की भूमि का जरिये राजीनामा आपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा माफिक राजीनामा वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान का कब्जा काश्त भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 के द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाड़े के वादपत्र में जमाबन्दी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक-पृथक हिस्सा नजरीनकशानुसार अंकित गया है जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग-अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 24.11.2021 में वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 ने आपसी सहमति के अनुसार खातेदारी घोषणा तथा माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।


सहायक क्लर्क
(एस.डी.ओ.) जायल

हमारी राय में मौजा कुसिया के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने-अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते हैं, चूंकि वादग्रस्त खेतायों में पक्षकारान द्वारा खसरा नंबर 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर की भूमि की खातेदारी वाद पत्र पैरा संख्या 2 एवं इस्तदुआ एवं राजीनामा अनुसार वादीगण ओमाराम व कैलाशराम तथा प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के सामलाती 1/3-1/3 हिस्से के हक बंट कब्जा काश्त में चाही है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा किसी प्रकार की उजर आपति भी प्रस्तुत नहीं की तथा सहमति से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में बंट रखने की सहमति जाहिर की है। प्रतिवादी संख्या 2 के मुतदाविया खेतायों में कोई हक बंट नहीं रखा गया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होता है इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क राजहित में जमा करवाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः मौजा कुसिया के खेत खसरा नंबर 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को वादी संख्या 1 कानाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर मुताबिक राजीनामा एवं वाद पत्र इस्तदुआ एवं सहमति अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

- :: आदेश :: -

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कुसिया के खेत खसरा नंबर 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को वादी संख्या 1 कानाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 व 2 ओमाराम व कैलाश व प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर पूरा 1/3-1/3 हिस्से में खातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

निर्णय आज दिनांक 17/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।



17/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक (क्लेक्टर) एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला-नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :257 / 2021

वादीगण-

1. ओमाराम पुत्र कानाराम
2. कैलाशराम पुत्र कानाराम, जातियान-जाट निवासीगण-कुसिया, तहसील-जायल।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कानाराम पुत्र रामाराम
2. गीता पुत्री कानाराम, जातियान-जाट निवासीगण-कुसिया, तहसील-जायल।
3. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति :-

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित



दावा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 हाजरी श्री रामप्रकाश बेंदा अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि- यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा कुसिया के खेत खसरा नंबर 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर की भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 को वादी संख्या 1 कानाराम के साथ सहखातेदार घोषित कर कर निम्न प्रकार से अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 व 2 ओमाराम व कैलाश व प्रतिवादी संख्या 1 कानाराम के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा कुसिया का खेत खसरा नंबर खेत खसरा नं. 112/350 रकबा 0.8337 हैक्टेयर, खसरा नंबर 165 रकबा 3.8850 हैक्टेयर पूरा 1/3-1/3 हिस्से में खातेदार घोषित किये जाते हैं।
2. प्रतिवादी संख्या 2 के नाम मुतदाविया खेतियों में से कोई हक बंट नहीं रखा गया है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा करवाये जाने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।


निर्णय आज दिनांक 17/12/2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

तीज - मुबलिग - बाबत् - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह -
सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। ववक्त मेरे
दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17/12/2021 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का चाहे डिकरे के जरिये
दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।


(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं डिप्टी सेशन अधिकारी
जायल (नागौर)